



UPEW010014962026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या- 1, इटावा।

उपस्थित : अखिलेश कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code :UP6281

द्वितीय प्रतिभू प्रार्थनापत्र संख्या-447/2026

अतुल कुमार उर्फ जीतू, उम्र 21 वर्ष, पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी-ग्राम सन्तोषपुर घाट, थाना-बसरेहर, जनपद इटावा।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य

.....अभियोजन।

<p>मुकदमा अपराध सं.-05/2026 धारा-3(5), 109(1) बी.एन.एस. व 3/25/27 आयुध अधिनियम। थाना-बसरेहर, जिला इटावा।</p>
--

1. आवेदक/अभियुक्त अतुल कुमार उर्फ जीतू की ओर से मुकदमा अपराध सं.-05/2026, धारा-3(5), 109(1) बी.एन.एस. व 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना-बसरेहर, जिला इटावा के मामले में उसे प्रतिभू पर निर्मुक्त किये जाने हेतु द्वितीय जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. जमानत प्रार्थना पत्र के साथ महेन्द्र सिंह पाल का शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है। उक्त प्रार्थना पत्र के अलावा कोई भी प्रतिभू प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय में न तो दिया गया है और न ही खारिज हुआ है।
3. जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किये गये हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। दर्शित घटना में कोई भी स्वतंत्र साक्षी तथा पब्लिक का गवाह नहीं है। फर्द तहरीर कम्प्यूटरीकृत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दो घन्टे विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आवेदक को थाना की पुलिस पकड़कर ले गयी और फर्जी मुठभेड़ दिखाकर, घुटने के नीचे गोली मारकर घायल कर दिया। गिरफ्तारी के पश्चात घटना में किसी भी पुलिसकर्मी के कोई चोट नहीं आई है। आवेदक जमानत देने को तैयार है। आवेदक जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।
4. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा/थानाध्यक्ष सौरभ सिंह, दिनांक 13.01.2026 को मय अन्य पुलिस हमराहियान थाना हाजा से बहवाले रपट नं० 8 समय 02.49 बजे वास्ते ग्राम संतोषपुर घाट के पास में घटित घटना की जाँच थानाक्षेत्र में गश्त व विवेचना मुकदमा चैकिंग को रवाना होकर पत्तापुरा नहर पुल पर मौजूद

थे, तभी जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि कल शाम को संतोषपुर घाट रोड पर चम्पानेर तिराहे पर जो मर्डर हुआ है, घटना कारित करने वाले दोनों व्यक्ति लाल काले रंग की हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं भागने की फिराक में भदामई पुल की ओर आ रहे हैं। सूचना पर हम पुलिसवालों द्वारा आपस में मय मुखबिर के एक-दूसरे की जामातलाशी ले देकर बताये हुए स्थान पर पहुंचे। मुखबिर ने दूर से इशारा करके बताया कि वह दोनों वही व्यक्ति हैं, जो मैंने बताया है। तब हम पुलिसवालों ने बाइक सवार दोनों व्यक्तियों को रुकने को कहा, पीछे बैठे व्यक्ति ने अपने आप को घिरता देख हम पुलिसवालों पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिससे हम पुलिसवाले बाल-बाल बच गये। सड़क टूटी हुई होने के कारण मोटरसाइकिल अनियन्त्रित होकर फिसल कर सड़क पर ही गिर गयी और दोनों व्यक्ति खेतों की तरफ झाड़ियों में घुस गये, एक व्यक्ति ने झाड़ियों से दुबारा हम पुलिसवालों पर जान से मारने की नीयत से फायर किया और दूसरा व्यक्ति भागने लगा। तब हम पुलिसवालों ने आत्मरक्षार्थ में जवाबी फायरिंग की गयी, दौराने फायरिंग दूसरी तरफ से कराहते हुए आवाज आयी, सावधानीपूर्वक नजदीक जाकर देखा तो एक व्यक्ति वहीं झाड़ियों के पास घायल अवस्था में पड़ा है, जिसे पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति ने कराहते हुए अपना नाम अतुल कुमार उर्फ जीतू पुत्र महेन्द्र सिंह बताया, जिसकी जामातलाशी से दाहिने हाथ में लिए एक अदद देशी तमंचा 315 बोर अधखुला हुआ, जिसकी नाल में एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर फंसा हुआ तथा पहने नीले रंग की जीन्स पेंट की जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 580/-रुपया नगद बरामद हुआ। बरामदशुदा अवैध तमंचे व कारतूस के बारे में लाइसेंस तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा। पकड़े गये व्यक्ति व सह-अभियुक्त को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए समय 07.40 बजे हिरासत लिया गया। दौरान गिरफ्तारी जनता के आने-जाने वाले लोगों से गवाही हेतु कहा गया तो जनता का कोई भी व्यक्ति भलाई-बुराई के कारण गवाही हेतु तैयार नहीं हुआ। दौराने कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का पालन किया व कराया गया।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आधारों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क किये गये कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने का कथन किया गया है।

6. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दण्ड द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिससे पुलिस पार्टी बाल-बाल बच गयी। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर अधखुला हुआ, जिसकी नाल में एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर फंसा हुआ तथा पहने नीले रंग की जीन्स पेंट की जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 580/-रुपया नगद बरामद हुआ। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने की याचना की गई है।

7. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली तथा थाने की आख्या का अवलोकन किया गया।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त को अन्य सह-अभियुक्त के साथ पुलिसपार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करना बताया गया है। अभियुक्त को घटनास्थल से गिरफ्तार करना बताया गया है, उसके कब्जे से तमंचा 315 बोर व नाल में फंसा हुआ कारतूस व एक खोखा कारतूस तथा पेन्ट की जेब से दो जिन्दा कारतूस बरामद होना बताया गया है। बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है। बचावपक्ष का यह कहना है कि उसे घर से पकड़कर झूठी पुलिस मुठभेड़ दर्शित कर पैर में गोली मारकर चालान किया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि किसी पुलिसकर्मी को उक्त घटना में किसी प्रकार की कोई चोट आना नहीं बताया गया है। अभियुक्त दिनांक 13.01.2026 से जेल में निरुद्ध

होना बताया गया है। पूर्व में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक द्वारा नॉट प्रेस किया गया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बगैर, उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का न्यायोचित एवं पर्याप्त आधार पाया जाता है, तदनुसार उक्त प्रश्नगत आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अतुल कुमार उर्फ जीतू** की ओर से मुकदमा अपराध सं.-05/2026 धारा-3(5),109(1) बी.एन.एस. व 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना-बसरेहर, जिला इटावा के मामले में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र निम्न शर्तों के अधीन सशर्त स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त की ओर से मुबलिंग 1,00,000/-रूपये (एक लाख रूपये) का निजी बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि की एक जमानत प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए-

1. अभियुक्त, निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा,
2. अभियुक्त, उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा; और
3. अभियुक्त, मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

सत्र लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की प्रति केन्द्रीय कारागार इटावा को जरिए ई-मेल प्रेषित करें।

दिनांक-07.03.2026

(अखिलेश कुमार)

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-1, इटावा।
J.O. Code :UP6281